Functioning of Government Offices in Private Buildings

2234. SHRI GOPALSINH G. SOL-ANKI: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the number of Central Government offices functioning in private buildings on monthly rented basis in the country Statewise;

(b) since when these offices are functioning, department-wise on which terms and conditions and what are the monthly rent, premisewise;

(c) what is the total amount spent by Government in each State for rental charges;

(d) whether there is any proposal to construct Government offices complex in each State to accommodate these rented offices; and

(e) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOP MENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WA TER RESOURES (SHRI P. K. THUN-GON): (a) to (c) Where general pool accommodation is not available, hiring of office space is done by various govt, dep artments themselves, as per the guide lines prescribed. No tatistlicg aet maintained in this regard by the Mi nistry.

(d) Yes, Sir.

(c) General Pool office complex is i already under construction at Nagpur, Madras, Bangalore and Chandigarh.

I

नगर पालिका के कार्यकरण की समीक्षा मंत्रियों की बैठक

2235. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगर पालिकाओं के कार्यकरण की समीक्षा हेतु अपनी हा ही में राज्य के मंत्रियों की एक बैठ बुलाई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक कौन-कौन से निर्णय किये गये तथा विभि राज्यों के मंत्रियों के द्वारा कौन-कौन स सिफारिशें और सुझाव प्रस्तुत किये गये;

(ग) क्या नगर पालिकाओं के राजस और वित्तीय ढांचे तथा सेवाओं में सुधा करने के साथ-साथ उनके कार्यकरण क सुप्रवाही बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वार कोई कदम उठाये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौ क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्र और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्र (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) शहरी स्थानीय निकाय को सांविधानिक दर्जा प्रदान करने के लि संसद द्वारा हाल ही में संविधान (74व संशोधन) अधिनियम, 92 लागू किय गया है । इस अधिनियम में अन्य बातों साथ-साथ शहरी स्थानीय निकायों संयोजन और गठन, उनकी कार्य-प्रणाल और उत्तरदायित्व, अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्तियों और महिलाओं के लि सीटों के आरक्षण तथा कर, शुल्क, आ लगाने की शक्तियों का भी प्रावधान है इस अधिनियम में, इन निकायों की वित्ती स्थिति की समीक्षा हेतु प्रत्येक 5 वर्ष अन्तराल में राज्य वित्त आयोग के गठ